झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–35 / 2020

सुधीर सोरेंग .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री मोहित प्रकाश, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश सं0 02 दिनांक 16वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित हो रहे विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता, गुमला एएचटीयू बसिया थाना काण्ड संख्या 12 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त हैं।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता एवं विनिता कुमारी, सूचक की नाबालिग बेटी को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से ले गए। बाद में उनकी बेटी भाग गई और यह बतलाई कि उसके नियोक्ता, जाहिद ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़ित के साथ दुर्व्वयहार एवं बलात्कार का मुख्य आरोप जाहिद के विरूद्ध लगाया गया है। याचिकाकर्त्ता 14.11.2019 से अभिरक्षा में हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, गुमला की संतुष्टि पर, गुमला एएचटीयू बसिया थाना काण्ड संख्या 12 वर्ष 2019 में छोड़ने का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्त्ता को विचारण की समाप्ति तक प्रत्येक तिथि को शारीरिक रूप से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)